## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 675/2024
अनवान : –

1. विश्वजीत पुत्र इकबाल चन्द जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

**– वादी**

**बनाम्**

1. इकबाल चन्द पुत्र झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. भीमसैन पुत्र झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. करमो बाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
5. विधारानी पुत्री झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
6. गीता रानी पुत्री झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
**पेरोकार राज**

**निर्णय** दिनांकः 08/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 22/20 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि जिसमं 1/12 हिस्सा करमाबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 42/40 की कुल 5.3130 हैक्ट में से 5/36 हिस्सा करमाबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम, 1/8 हिस्सा भूमि चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम व भीमसैन पुत्र झागीराम प्रत्येक के नाम तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 16.6980 हैक्ट भूमि में कर्मोबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का 41747/1001880 हिस्सा, इकबाल पुत्र झागीराम का 7/792 हिस्सा, गीतारानी पुत्री झागीराम का 7/792 हिस्सा, चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम का 41741/1001880 हिस्सा, भीमसैन पुत्र झागीराम का 41747/1001880 हिस्सा, विधा रानी पुत्री झागीराम का 7/792 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 157/32 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में करमाबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का 1/12 हिस्सा, इकबाल पुत्र झागीराम का 1687/30360 हिस्सा, चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम का 3373/60720 हिस्सा, भीमसैन पुत्र झागीराम का 3373/30360 हिस्सा भूमि के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के दादा झागीराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान वादी की दादी करमोबाई, , इकबाल चन्द्र, चन्द्रगुप्त व भीमसैन व विधा रानी, गीतारानी के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 6 जो की वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी स0 4 जो की वादी की दादी है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के दादा झागीराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान वादी की दादी करमोबाई, , इकबाल चन्द्र, चन्द्रगुप्त व भीमसैन व विधा रानी, गीतारानी के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 6 जो की वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी स0 4 जो की वादी की दादी है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 22/20 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि जिसमं 1/12 हिस्सा करमाबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 42/40 की कुल 5.3130 हैक्ट में से 5/36 हिस्सा करमाबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम, 1/8 हिस्सा भूमि चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम व भीमसैन पुत्र झागीराम प्रत्येक के नाम तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 16.6980 हैक्ट भूमि में कर्माबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का 41747/1001880 हिस्सा, इकबाल पुत्र झागीराम का 7/792 हिस्सा, गीतारानी पुत्री झागीराम का 7/792 हिस्सा, चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम का 41741/1001880 हिस्सा, भीमसैन पुत्र झागीराम का 41747/1001880 हिस्सा, विधा रानी पुत्री झागीराम का 7/792 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 157/32 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में करमोबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का 1/12 हिस्सा, इकबाल पुत्र झागीराम का 1687/30360 हिस्सा, चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम का 3373/60720 हिस्सा, भीमसैन पुत्र झागीराम का 3373/30360 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के दादा झागीराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान वादी की दादी करमोबाई, , इकबाल चन्द्र, चन्द्रगुप्त व भीमसैन व विधा रानी, गीतारानी के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 6 जो की वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी स0 4 जो की वादी की दादी है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा ो स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 22/20 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि जिसमं 1/12 हिस्सा भूमि में करमाबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का नाम कलमजन किया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को 1/36 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी स0 2 को 1/36 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी स0 3 को 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 42/40 की कुल 5.3130 हैक्ट में से 5/36 हिस्सा करमाबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम, 1/8 हिस्सा भूमि प्रत्येक चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम व भीमसैन पुत्र झागीराम तीनों का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 व प्रतिवादी स0 3 को 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 16.6980 हैक्ट भूमि में कर्मोबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का 41747/1001880 हिस्सा, इकबाल पुत्र झागीराम का 7/792 हिस्सा, गीतारानी पुत्री झागीराम का 7/792 हिस्सा, चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम का 41741/1001880 हिस्सा, भीमसैन पुत्र झागीराम का 41747/1001880 हिस्सा, विधा रानी पुत्री झागीराम का 7/792 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को 1265/25047 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 को 1265/25047 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 को 1265/25047 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 157/132 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में करमोबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का 1/12 हिस्सा, इकबाल पुत्र झागीराम का 1687/30360 हिस्सा, चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम का 3373/60720 हिस्सा, भीमसैन पुत्र झागीराम का 3373/60720 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 को 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:47 IST
Reason: SelfAttested

## पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 675/2024

अनवान : –

1. विश्वजीत पुत्र इकबाल चन्द जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

**बनाम्**

1. इकबाल चन्द पुत्र झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. भीमसैन पुत्र झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. क्रमो बाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
5. विधारानी पुत्री झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
6. गीता रानी पुत्री झागीराम जाति कम्बोज निवासी दड़बी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 675 सन 2024 निर्णय दिनांक** 07/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 22/20 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि जिसमं 1/12 हिस्सा भूमि में करमाबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को 1/36 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी स0 2 को 1/36 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी स0 3 को 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 42/40 की कुल 5.3130 हैक्ट में से 5/36 हिस्सा करमाबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम, 1/8 हिस्सा भूमि प्रत्येक चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम व भीमसैन पुत्र झागीराम तीनों का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 व प्रतिवादी स0 3 को 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 16.6980 हैक्ट भूमि में कर्मोबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का 41747/1001880 हिस्सा, इकबाल पुत्र झागीराम [illegible]792 हिस्सा, गीतारानी पुत्री झागीराम का 7/792 हिस्सा, चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम का 41747/1001880 हिस्सा, भीमसैन पुत्र झागीराम का 41747/1001880 हिस्सा, विधा रानी पुत्री झागीराम का 7/792 हिस्सा भूमि में नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को 1265/25047 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 को 1265/25047 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 को 1265/25047 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 157/132 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में करमोबाई पत्नी जागीराम उर्फ झागीराम का 1/12 हिस्सा, इकबाल पुत्र झागीराम का 1687/30360 हिस्सा, चन्द्रगुप्त पुत्र झागीराम का 3373/60720 हिस्सा, भीमसैन पुत्र झागीराम का 3373/60720 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 को 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:47 IST
Reason: SelfAttested